



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR rates from 01.07.2013 @ 90%
to Jharkhand pensioners

Ref:- 1.Accountant General, (A&E) Jharkhand No Pen III/DR/-
Jharkhand/DR/2013-14/2319 dt 06.12.2013.

2. Jharkhand Government, Finance Department No 6A(DR)-
12/13-3242V dt 26.11.2013.

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the
Principal Accountant General (A&E), Jharkhand in the reference cited. The
same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You
are requested to direct all the District Treasury Officers to download the
orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the
pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

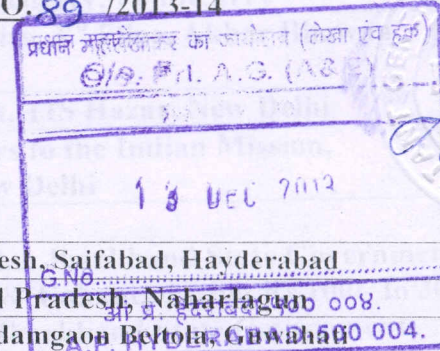
No.PEN-III/Jharkhand/DR/2013-14/ 2319

Dated:- 06/12/13

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO. 89 /2013-14

To,

The



1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidangaon Belpara, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	211001

पो. डोरण्डा, राँची - 834 002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (JHARKHAND)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स / Fax : 0651-2411745

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject:-1.Enhancement rate of Medical Allowance to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-09-2008 (Enhanced from Rs.100/- to 300/-)
2.Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2013 (Enhanced from 80% to 90%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.वि. प्र. 6.12/2013/3242/वि. dated 26-11-2013 and Memo No.103/Pension dated-27-03-2010 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

झारखंड सरकार
नित्य विभाग ।

संक्षेप

विषय :- राज्य की रेशन एवं पारिवारिक पेशम योजनाओं की वृद्धि चिकित्सा भत्ता में अभिवृद्धि
नित्य विभाग संकाय सं० ६६०/वि० दिनांक 28-02-09 के द्वारा राज्य कमिटी को
दिसंबर, 2008 में चिकित्सा भत्ता 100/- (एक सौ) रुपये से बढ़ाकर 300/- (तीन सौ) रुपये
प्रतिमाह का निर्णय लिया गया है । संकाय सं० 2678/वि० दिनांक 05-08-09
द्वारा राज्य की रेशन एवं पारिवारिक पेशम योजनाओं की दिनांक 05-08-2009 के निर्णय से
चिकित्सा भत्ता की राशि 100/- रुपये को बढ़ाकर 300/- (तीन सौ) रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है ।
रेशन एवं पारिवारिक पेशम योजनाओं की मांग पर राज्य कमिटी की भांति राज्य के पेशम
एवं पारिवारिक पेशम योजनाओं की भी दिनांक 01-09-08 के प्रभाव से चिकित्सा भत्ता रु०
300/- (तीन सौ रु०) प्रतिमाह अनुमान्य करने का मामला सरकार के विचारधीन था ।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के रेशन एवं पारिवारिक
पेशम योजनाओं की भी राज्य कमिटी की भांति दिनांक 01-09-2008 के प्रभाव में 300/- रु० (तीन
सौ रु०) प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे झारखंड राजपत्र में सत्याधारण की जानकारी हेतु
प्रकाशित किया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजबाला वर्मा)
प्रधान सचिव ।

सं० सं०- वि० सं०-10-41/2001/103/4217

रांची, दिनांक 27.3.2010

प्रतिनिधि- अधीक्षक, राप्ताकीय मुख्यालय, डोरण्डा, रांची को इसे राजपत्र में प्रकाशित करने
का उपाय 100 प्रतियों नित्य विभाग, झारखंड को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोधित ।

ह०/-
(राजबाला वर्मा)
प्रधान सचिव ।

क्रमांक- वि०पै०-१०-४१/२००१- १०३/५२१७

दिनांक २७.३.२०१०

प्रतिलिपि महादेवचौधर(विद्या एवं प्रज्ञा), झारखंड, रांची को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित ।

(सज्जदाला ताम्बी)
प्रधान सचिव ।

क्रमांक- वि०पै०-१०-४१/२००१- १०३/५२१७

रांची, दिनांक २७.३.२०१०

प्रतिलिपि रांची विभाग/रांची विभागाध्यक्ष/रांची प्रगल्भलीय आभुवत/महा निदेशक, झारखंड, उत्तर न्यायालय, रांची/रांची न्यायालय/रांची आरपी अधीनस्थ/रांची कोषागार/उप कोषागार/प्रधानमंत्री, झारखंड को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित ।

(X) (सज्जदाला ताम्बी)
प्रधान सचिव ।

संख्या : वि०प्र० 6ए-12/2013 3242/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 26.11.2013

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2013 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17(ए०)(बी०) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाएँ सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या-42/13/2012 पी० एण्ड पी० डब्लू० (जी०) दिनांक 03.10.2013 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.07.2013 के प्रभाव से 80% (अस्सी प्रतिशत) से बढ़ाकर 90% (नब्बे प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2013 के प्रभाव से महँगाई राहत 80% (अस्सी प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 90% (नब्बे प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतये राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556/वि०, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति/बार्धक्य निवृत्ति/असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक/पारिवारिक/असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-344 (i) के तहत राज्य के अंतर्गत बिना

महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों, द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी महंगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियां भेज दिये जाये।

8. राज्य के बाहर आदेय महंगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलंब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रभाव से स्वीकृत इस महंगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत की राशि शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

26/11/13
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013-3242/वि०

राँची, दिनांक 26.11.2013

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में करें और राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा-5 को उपलब्ध करावें।

26/11/13
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव।

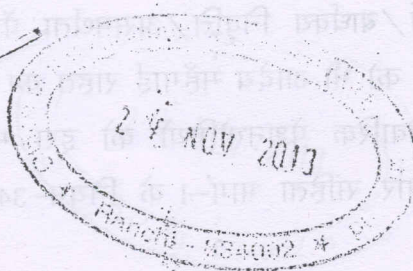
ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013-3242/वि०

राँची, दिनांक 26.11.2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/11/13
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव।



1. 30/11/13